



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241057
CG-DL-E-14122022-241057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944

No. 646]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

फा.सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 15 जून, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना में संशोधन कर एतद्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

1. तालिका में, क्रम संख्या 5 और सम्बंधित प्रविष्टियाँ हटा दी जाएँगी;
2. तालिका में, क्रम संख्या 26 के पश्चात सम्बंधित स्तंभों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | अधिकार क्षेत्र |
|----------|----------------|-------------------|
| "27. | डा. गोपीनाथ एन | बंगलौर हवाई अड्डा |

एस गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./465/2022-23]

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. 1(100) 2015/सीएल-पोर्ट/एअरपोर्ट/एएनएफ/भाखासंमाप्रा, तारीख 15 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी:

1. फा.सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, तारीख 28 फरवरी, 2022; और
2. फा.सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, तारीख 11 अप्रैल, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers of Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, as Food Safety Officers for the area as mentioned against his /her name with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 15th June 2021:-

1. In the table, serial no. 5 and entries related to shall be omitted;
2. after serial number 26, the following entries shall be inserted in the respective columns, namely: -

| S.No. | Name of Officers | Area of jurisdiction |
|-------|------------------|----------------------|
| “27. | Dr. Gopinath N | Banglore Airport” |

S. GOPALAKRISHNAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./465/2022-23]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide F.No. 1(100)2015/CL-Port/Airport/Enf/FSSAI, dated the 15th June, 2021 and subsequently amended vide notification numbers:

1. F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI, dated 28th February, 2022; and
2. F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI, dated 11th April, 2022.